

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

25/2018

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2018/00022

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

- 1.ओमप्रकाश पुत्र राणाराम
- 2.केवलराम पुत्र राणाराम
- 3.जमनादेवी बेवा राणाराम
कौम घांची निवासी पचपदरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

- 1.हड़मानराम पुत्र सोनाराम
- 2.बाबूलाल पुत्र सोनाराम कौम घांची
निवासी भरावो का चौक,पचपदरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
- 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- 1.श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता वादीगण
- 2.प्रतिवादी एकतरफा ।

निर्णय

दिनांक- 16.12.2018

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद मौजा पचपदरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 182, 418, 427, 441, 444 रकबा क्रमशः 06.10, 11.07, 07.17, 03.14, 02.07 बीघा व सरहद मौजा मालियों की ढाणी की खेत खसरा संख्या 245 रकबा 06.13 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 15.03.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पचपदरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 182, 418, 427, 441, 444 रकबा क्रमशः 06.10, 11.07, 07.17, 03.14, 02.07 बीघा व सरहद मौजा मालियों की ढाणी की खेत खसरा संख्या 245 रकबा 06.13 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

| क्र. सं. | नाम खातेदारान | गांव का नाम | ख.सं. | क्षेत्रफल (हैक्ट.) | वरंग |
|----------|---|-------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ओमप्रकाश केवलराम पि. राणाराम जमना बेवा राणाराम कौम घांची सा. देह खातेदार | पचपदरा | 182 418 427 | 0.7272 0.9569 0.9611 | नक्शे मे दर्शितानुसार |
| 2 | हनुमानराम पुत्र सोनाराम कौम घांची सा. देह खातेदार | पचपदरा | 182 418 427 | 0.7271 0.9569 0.9612 | नक्शे मे दर्शितानुसार |
| 3 | बाबूराम पुत्र सोनाराम कौम घांची सा. देह खातेदार | पचपदरा | 182 418 441 444 | 0.1897 0.9569 0.9358 0.5944 | नक्शे मे दर्शितानुसार |
| 4 | ओमप्रकाश केवलराम पि. राणाराम जमना बेवा राणाराम हि. 1/2 हनुमानराम पुत्र सोनाराम हि. 1/2 कौम घांची सा. देह खातेदार | पचपदरा | 427 | 0.0632 | नक्शे मे दर्शितानुसार |

तहसीलदार, पचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मूर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करें।



(Signature)
(अशोक कुमार) 16/12/25
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16/12/25 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(Signature)
सहायक कलेक्टर 16/12/25
एस.डी.ओ.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 25/2016
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2016/00022

वादी
1.ओमप्रकाश पुत्र राणाराम
2.केवलराम पुत्र राणाराम
3.जमनादेवी बेवा राणाराम
कौम घांची निवासी पचपदरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1.हड़मानराम पुत्र सोनाराम
2.बाबूलाल पुत्र सोनाराम कौम घांची
निवासी भरावो का चौक,पचपदरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :25/2016

निर्णय दिनांक :- 16.12.2025

वादीगण की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 16.12.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 16.12.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादीगण | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| | रूपया | | रूपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 2.अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | 3.प्लीडर की फीस | |
| 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस | | 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | 5.आदेशिका की तामील | ----- |
| 6.कमिश्नर की फीस | ----- | 6.कमिश्नर की फीस | |
| 7.आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड़ | ----- | जोड़ | ----- |



Asif
 सहायक कलेक्टर 16/11/2020
 (एस.डी.ओ.)बालोतरा